



**भारतीय रिज़र्व बैंक, प्लॉट नंबर 16 और 17, आईटी पार्क, देहरादून में 2 x 20 केवीए यूपीएस सिस्टम के लिए  
व्यापक वार्षिक रखरखाव अनुबंध**

1. भारतीय रिज़र्व बैंक, प्लॉट नंबर 16 और 17, आईटी पार्क, देहरादून में स्थापित 2 x 20 केवीए यूपीएस सिस्टम के लिए व्यापक वार्षिक रखरखाव अनुबंध के लिए ओईएम (मैसर्स AAL) / ओईएम अधिकृत सेवा प्रदाताओं से सीलबंद बोलियां आमंत्रित की जाती हैं। "नियम और शर्तें" नीचे दी गई हैं।
2. बोली को एक सीलबंद लिफ़ाफ़े में जमा किया जाना चाहिए, जिस पर "2 X 20 KVA UPS सिस्टम के लिए व्यापक वार्षिक रखरखाव अनुबंध" अंकित हो, प्रत्येक पृष्ठ को उचित रूप से भरने, हस्ताक्षर करने और मुहर लगाने के बाद, साथ ही निर्दिष्ट राशि की ईएमडी जमा करने का प्रमाण संलग्न करते हुए, और इसे निम्न पते पर प्रेषित किया जाना चाहिए: "क्षेत्रीय निदेशक, संपदा विभाग, रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया, प्लॉट नं. 16-17, आईटी पार्क, सहस्रधारा रोड, देहरादून - 248013।" बोली को एक सीलबंद लिफ़ाफ़े में जमा किया जाना चाहिए, जिस पर "2 X 20 KVA UPS सिस्टम के लिए व्यापक वार्षिक रखरखाव अनुबंध" अंकित हो, प्रत्येक पृष्ठ को उचित रूप से भरने, हस्ताक्षर करने और मुहर लगाने के बाद, साथ ही निर्दिष्ट राशि की ईएमडी जमा करने का प्रमाण संलग्न करते हुए, और इसे निम्न पते पर प्रेषित किया जाना चाहिए: "क्षेत्रीय निदेशक, संपदा विभाग, रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया, प्लॉट नं. 16-17, आईटी पार्क, सहस्रधारा रोड, देहरादून - 248013
3. बोली केवल विभाग के कोटेशन बॉक्स में ही जमा की जानी चाहिए, जो उपरोक्त उल्लिखित पते पर रिसेप्शन क्षेत्र में रखा गया है।
4. प्री-बिड बैठक 29 जनवरी, 2026 को सुबह 11:00 बजे से 12:00 बजे तक उपरोक्त उल्लिखित पते पर आयोजित की जाएगी।
5. बोली जमा करने की अंतिम तिथि 05 फरवरी, 2026, तक है, समय 03:00 बजे अपराह्न तक। कोटेशन की खुली प्रक्रिया 05 फरवरी, 2026 को 03:30 बजे अपराह्न से शुरू होगी।
6. बोलीदाता सलाह दी जाती है कि वे ₹2,300/- (केवल दो हजार तीन सौ रुपये) का ईमस्ट मनी डिपॉजिट (EMD) एनईएफटी के माध्यम से निम्नलिखित खाते में 05 फरवरी, 2026 से पहले, दोपहर 02:30 बजे तक जमा करें:
  - प्राप्तकर्ता का नाम: रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया, देहरादून
  - खाता संख्या: 186003001
  - IFSC कोड: RBISODNPA01 (5वें और 10वें अक्षर 'ZERO' हैं)  
(कृपया NEFT लेनदेन में अपनी फर्म/कंपनी का नाम उल्लेख करें)
7. यह राशि कोई ब्याज नहीं देती है और वापसी योग्य है। कृपया ध्यान दें कि असफल बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत EMD को काम का आदेश सफल बोलीदाता को जारी होने के 07 कार्यदिवसों के भीतर वापस कर दिया जाएगा। सफल बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत EMD को इस दस्तावेज़ में उल्लेखित शर्तों के अनुसार प्रदर्शन बैंक गारंटी प्रस्तुत करने के 07 कार्यदिवसों के भीतर वापस कर दिया जाएगा। सुरक्षा जमा पर कोई ब्याज नहीं दिया।
8. बैंक किसी भी कारण बताए बिना किसी या सभी बोली को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
9. इस कोटेशन से संबंधित स्पष्टीकरण के लिए बोलीदाता **श्री विजय कुमार गर्ग (मोबाइल नंबर - 8725001296)** एवं **श्री सोनूसिंह यादव (मोबाइल नंबर - 8141228253)** से संपर्क कर सकते हैं।

दिनांक:

क्षेत्रीय निदेशक

भारतीय रिज़र्व बैंक

देहरादून



## गतिविधियों की अनुसूची

विशेष विवरण	निर्धारित समय
1. बोली जमा करने की प्रारंभ तिथि	16 जनवरी, 2026, शाम 03:00 बजे से
2. सिक्योरिटी डिपॉजिट/ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि	05 फरवरी, 2026, दोपहर 02:30 बजे तक
3. पूर्व-बोली बैठक	29 जनवरी, 2026, रात 11:00 बजे से 12:00 बजे तक
4. बोली जमा करने की अंतिम तिथि	05 फरवरी, 2026, शाम 03:00 बजे तक
5. बोली खोलने की तिथि	05 फरवरी, 2026, शाम 03:30 बजे से



भारतीय रिज़र्व बैंक  
संपदा विभाग, देहरादून

भारतीय रिज़र्व बैंक, प्लॉट संख्या 16 और 17, आईटी पार्क, देहरादून में स्थित 2 x 20 केवीए  
यूपीएस सिस्टम के लिए व्यापक वार्षिक रखरखाव अनुबंध।

फर्म/कंपनी का नाम: \_\_\_\_\_

पता: \_\_\_\_\_

:

यह दस्तावेज़ भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की संपत्ति है। RBI की लिखित अनुमति के, सिवाय RBI को उक्त उद्देश्य के लिए जवाब देने के उद्देश्य के बिना इसे किसी भी माध्यम, इलेक्ट्रॉनिक या अन्य, पर कॉपी, वितरित या रिकॉर्ड करना प्रतिबंधित है। इन दस्तावेज़ों की सामग्री का उपयोग, अधिकृत कर्मियों/एजेंसियों द्वारा भी, यहाँ निर्दिष्ट उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए करना सख्त वर्जित है और यह कॉपीराइट उल्लंघन माना जाएगा और इस प्रकार, भारतीय कानून के तहत दंडनीय होगा।

## अस्वीकरण

भारतीय रिज़र्व बैंक, सम्पदा विभाग, देहरादून (बैंक) द्वारा इस दस्तावेज़ को तैयार किया गया है। यह जानकारी इच्छुक कंपनी/फर्मों को भारतीय रिज़र्व बैंक, प्लॉट संख्या 16 और 17, आईटी पार्क, देहरादून में 2 x 20 केवीए यूपीएस सिस्टम के लिए व्यापक वार्षिक रखरखाव अनुबंध हेतु बोली लगाने में सक्षम बनाने के लिए प्रदान की जाती है, जो अनुबंध में निर्दिष्ट तिथि से इस दस्तावेज़ में निर्धारित नियमों और शर्तों तथा ऐसी जानकारी से संबंधित किसी अन्य नियमों और शर्तों के अनुसार लागू होगा।

यह दस्तावेज़ न तो किसी पक्ष के साथ कोई समझौता है और न ही किसी पक्ष को किसी भी प्रकार का कार्य करने का आमंत्रण। इस दस्तावेज़ का उद्देश्य सभी इच्छुक पक्षों के साथ बैंक की आवश्यकताओं को साझा करना है ताकि वे अपनी बोलियां प्रस्तुत कर सकें। यद्यपि बैंक ने इसमें दी गई जानकारी को तैयार करने में उचित सावधानी बरती है, बैंक यह दावा नहीं करता कि जानकारी पूर्ण है। इस दस्तावेज़ के उत्तरदाताओं से अनुरोध है कि वे स्वयं जांच-पड़ताल करें और केवल दस्तावेज़ में दी गई जानकारी पर ही निर्भर न रहें। यदि उत्तरदाता उचित जांच-पड़ताल नहीं करते हैं तो बैंक इसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा। बैंक इस दस्तावेज़ पर आगे कार्रवाई न करने, इसमें दर्शाई गई समय-सारणी में परिवर्तन करने या लागू की जाने वाली प्रक्रिया या कार्यप्रणाली को बदलने का अधिकार सुरक्षित रखता है। बैंक किसी भी उत्तरदाता के साथ कार्य/प्रक्रिया पर आगे चर्चा करने से इनकार करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है। बोलियां प्रस्तुत करने वाले व्यक्तियों या संस्थाओं को किसी भी प्रकार की लागत का कोई पुनर्भुगतान नहीं किया जाएगा।

**भारतीय रिज़र्व बैंक, प्लॉट संख्या 16 और 17, आईटी पार्क, देहरादून में स्थित 2 x 20 केवीए यूपीएस सिस्टम के लिए व्यापक वार्षिक रखरखाव अनुबंध।**

1. भारतीय रिज़र्व बैंक, प्लॉट संख्या 16 और 17, आईटी पार्क, देहरादून में स्थापित 2 x 20 केवीए यूपीएस सिस्टम के लिए व्यापक वार्षिक रखरखाव अनुबंध हेतु **ओईएम (मेसर्स एएएल) / ओईएम अधिकृत सेवा प्रदाताओं** से सीलबंद बोलियां आमंत्रित की जाती हैं। नियम और शर्तें नीचे दी गई हैं।
2. इस दस्तावेज़ के प्रत्येक पृष्ठ को विधिवत भरकर, हस्ताक्षर करके और मुहर लगाकर, "2 X 20 केवीए यूपीएस सिस्टम के लिए व्यापक वार्षिक रखरखाव अनुबंध" शीर्षक से अंकित सीलबंद लिफाफे में निविदा प्रस्तुत की जानी चाहिए। निविदा के साथ निर्धारित ईएमडी राशि जमा करने का प्रमाण भी संलग्न होना चाहिए और इसे "क्षेत्रीय निदेशक, संपदा विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, प्लॉट संख्या 16-17, आईटी पार्क, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून - 248013" को संबोधित किया जाना चाहिए।
3. उपरोक्त पते पर रिसेप्शन में स्थित संपदा विभाग के कोटेशन बॉक्स में ही बोली जमा की जानी चाहिए।
4. बोली-पूर्व बैठक निम्नलिखित तिथि को आयोजित की जाएगी: 28 जनवरी, 2026 को प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक उपर्युक्त पते पर।
5. निविदा जमा करने की अंतिम तिथि 4 फरवरी, 2026 को दोपहर 3:00 बजे तक है। निविदाएं 4 फरवरी, 2026 को दोपहर 3:30 बजे से खोली जाएंगी।
6. बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे 4 फरवरी, 2026 को दोपहर 2:30 बजे तक या उससे पहले NEFT के माध्यम से निम्नलिखित खाते में ₹ 2,300/- (दो हजार तीन सौ रुपये मात्र) बयाना जमा राशि (EMD) के रूप में जमा करें:
  - लाभार्थी का नाम: भारतीय रिज़र्व बैंक, देहरादून
  - खाता संख्या 186003001
  - IFSC कोड: RBIS0DNPA01 (पांचवां और दसवां अक्षर "शून्य" है)(कृपया एनईएफटी लेनदेन के विवरण में अपनी फर्म/कंपनी का नाम अवश्य लिखें)
7. इस राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होता और यह वापसी योग्य है। कृपया ध्यान दें कि असफल बोलीदाता द्वारा जमा की गई बयाना जमा राशि सफल बोलीदाता को कार्य आदेश जारी होने के 7 कार्य दिवसों के भीतर वापस कर दी जाएगी। सफल बोलीदाता द्वारा जमा की गई बयाना जमा राशि इस दस्तावेज़ में उल्लिखित शर्तों के अनुसार प्रदर्शन बैंक गारंटी जमा करने के 7 कार्य दिवसों के भीतर वापस कर दी जाएगी। सुरक्षा जमा पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।
8. बैंक बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

9. बोली लगाने वाले इस कोटेशन से संबंधित स्पष्टीकरण के लिए श्री विजय कुमार गर्ग (मोबाइल नंबर 8725001296) और श्री सोनू सिंह यादव (मोबाइल नंबर 8141228253) से संपर्क कर सकते हैं।

दिनांक:

क्षेत्रीय निदेशक

भारतीय रिज़र्व बैंक

देहरादून



## गतिविधियों की सारिणी

ब्यौरा	निर्धारित समय
1. निविदा जमा करने की प्रारंभ तिथि	15 जनवरी 2026, अपराह्न 3:00 बजे से
2. सुरक्षा जमा/ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि	4 फरवरी 2026, अपराह्न 2:30 बजे तक
3. बोली-पूर्व बैठक	28 जनवरी 2026, प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक
3. निविदा जमा करने की अंतिम तिथि	4 फरवरी 2026, अपराह्न 3:00 बजे तक
4. बोली खुलने का समय	4 फरवरी 2026, अपराह्न 3:30 बजे से

## खंड - I: कार्यक्षेत्र

### **A. व्यापक वार्षिक रखरखाव सेवा अनुबंध:**

- a. इस सिस्टम में 120 केवीए यूपीएस के 2 ऑनलाइन यूपीएस यूनिट (निर्माता: एम/एस एएएल, मॉडल: अल्फा-33) शामिल हैं जो समानांतर रूप से संचालित होते हैं।
- b. यूपीएस सिस्टम के व्यापक एएमसी में बैटरी को छोड़कर यूपीएस के कामकाज के लिए प्रदान किए गए सभी घटक, कार्ड, रेक्टिफायर, इन्वर्टर, फिल्टर, सभी प्रकार के केबल आदि शामिल होंगे।
- c. सिस्टम के सुचारू संचालन के लिए आवश्यकतानुसार सभी सॉफ्टवेयर अपडेट, रिलीज़, वर्ज़न अपग्रेड, नए वर्ज़न आदि CAMC के दायरे में शामिल होंगे। सेवा प्रदाता को सभी एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर और कस्टम सॉफ्टवेयर के सभी सॉफ्टवेयर (IOS) अपडेट, रिलीज़, वर्ज़न अपग्रेड, नए वर्ज़न आदि उपलब्ध कराने होंगे, जिसमें इस सिस्टम के लिए दिए गए सभी लाइसेंसों का नवीनीकरण भी शामिल है। सेवा प्रदाता ऐसे सॉफ्टवेयर अपडेट, रिलीज़, वर्ज़न अपग्रेड, नए वर्ज़न आदि के कार्यान्वयन/संचालन/कस्टमाइज़ेशन का कार्य भी करेगा। तदनुसार, सेवा प्रदाता को उपरोक्त लागत को CAMC के लिए उद्धृत लागत में शामिल करना चाहिए।
- d. सेवा प्रदाता द्वारा सभी उपकरणों के लिए 24x7 सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
- e. महीने में कम से कम एक बार निवारक रखरखाव यह सुनिश्चित करने के लिए कि सिस्टम सही कार्यशील स्थिति में चल रहा है। सर्विसिंग में यूपीएस की सफाई, धूल-मिट्टी हटाना आदि भी शामिल होगा।

- f. व्यापक वार्षिक रखरखाव सेवा अनुबंध की अवधि के दौरान, यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव सावधानी बरती जाएगी कि सिस्टम का डाउनटाइम न्यूनतम रहे और किसी भी स्थिति में, मरम्मत के लिए निर्धारित अनुमत समय से अधिक न हो, जैसा कि नीचे दिया गया है:
- i. यूपीएस में किसी भी प्रकार की खराबी जिसके कारण यूपीएस की सेवाएं आंशिक रूप से प्रभावित होती हैं, उसकी लिखित शिकायत प्राप्त होने के 24 घंटों के भीतर सुधार/ मरम्मत की जाएगी (एसएमएस, ईमेल, फैक्स आदि के माध्यम से प्राप्त शिकायतें भी लिखित शिकायत मानी जाएंगी)।
  - ii. यूपीएस में किसी भी प्रकार की खराबी जिसके कारण सिस्टम पूरी तरह से ठप हो जाता है, उसकी मरम्मत लिखित शिकायत दर्ज होने के 8 घंटे के भीतर की जाएगी (एसएमएस, ईमेल, फैक्स आदि के माध्यम से प्राप्त शिकायतें भी लिखित शिकायत मानी जाएंगी)।
- g. उद्धृत दरों में उपकरण में किसी भी प्रकार की खराबी आने पर उसकी मरम्मत/बदलाव, जिसमें सॉफ्टवेयर को पुनः लोड करना आदि शामिल है, शामिल होना चाहिए। दरों में परिवहन, भोजन, आवास आदि या सिस्टम/उप-असेंबली में खराबी/सेवा संबंधी किसी भी आकस्मिक लागत को भी शामिल किया जाना चाहिए। यूपीएस में किसी भी प्रकार की खराबी होने पर, उसकी मरम्मत निर्धारित अवधि के भीतर की जानी चाहिए, जिसमें स्पेयर पार्ट्स/घटक/उप-सिस्टम/कार्ड और किसी भी अन्य घटक, भाग या संपूर्ण उपकरण का प्रतिस्थापन शामिल है, जिसे बदलने/मरम्मत करने की आवश्यकता हो सकती है। यदि किसी भी कारण से मरम्मत संभव नहीं है, तो बैंक को बिना किसी अतिरिक्त लागत के खराब उपकरण को नए उपकरण से बदल दिया जाएगा। मरम्मत या प्रतिस्थापन की अवधि के दौरान, सेवा प्रदाता सिस्टम को सुचारू रूप से चालू रखने के लिए अस्थायी रूप से समान स्टैंडबाय/स्पेयर उपकरण उपलब्ध कराएगा।

- h. सेवा प्रदाता को अपने सेवा केंद्र पर सिस्टम के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक स्पेयर पार्ट्स का पर्याप्त स्टॉक रखना होगा। स्पेयर पार्ट्स/स्टैंडबाय यूनिट/घटकों की अनुपलब्धता को शीघ्र सेवा प्रदान करने में देरी के लिए जुर्माने की माफी का कारण नहीं माना जाएगा।
- i. निवारक रखरखाव के अलावा, रखरखाव के दायरे में किसी भी प्रकार की खराबी की शिकायतों का समाधान करना भी शामिल होगा।

**B. सीएएमसी अवधि के दौरान सेवा में देरी होने पर जुर्माना:** यदि सीएएमसी अवधि के दौरान डाउनटाइम ऊपर उल्लिखित अवधि से अधिक हो जाता है, तो सेवा प्रदाता को देय किसी भी भुगतान से निम्नलिखित दरों पर दंडात्मक वसूली की जाएगी:

- यूपीएस सेवाओं में आंशिक रुकावट – अधिकृत रखरखाव अवधि के बाद प्रतिदिन ₹500/- का शुल्क, अनुबंध राशि के 10% तक।
- यूपीएस सेवाओं में आंशिक रुकावट जिसके कारण संपूर्ण सिस्टम विफल हो जाता है - अधिकृत रखरखाव अवधि के बाद प्रतिदिन ₹3000/- का शुल्क, अनुबंध राशि के 10% तक।
- इसके अतिरिक्त, यदि 10 दिनों के भीतर खराबी को ठीक नहीं किया जाता है, तो बैंक को ठेकेदार के जोखिम और खर्च पर खराबी को ठीक करवाने का अधिकार होगा। बैंक को ठेकेदार द्वारा सिस्टम को ठीक करने में देरी के लिए जुर्माने के रूप में सुरक्षा जमा राशि जब्त करने/ठेकेदार को देय राशि से वसूली करने और ठेकेदार द्वारा प्रदान की गई सेवा असंतोषजनक पाए जाने पर अनुबंध समाप्त करने का भी अधिकार होगा।

**C. व्यापक वार्षिक बीमा योजना की भुगतान शर्तें और नवीनीकरण की दरें:**

- i. **अदायगी की शर्तें:** बैंक, सीएएमसी अवधि के दौरान सेवा प्रदाता को, यहां वर्णित कार्यक्षेत्र के अनुसार संतोषजनक रखरखाव सेवाएं प्रदान करने हेतु सभी भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। सेवा

प्रदाता द्वारा तिमाही के दौरान संतोषजनक सेवाएं प्रदान करने के बाद, आवश्यक सेवा रिपोर्ट के साथ बिल प्रस्तुत करने पर, बैंक द्वारा सेवा प्रदाता को तिमाही भुगतान किया जाएगा।

- ii. **व्यापक सीएएमसी की दर का नवीनीकरण:** आगे की अवधि के लिए सीएएमसी की दर का नवीनीकरण निम्नलिखित सूत्र के आधार पर किया जाएगा।

$$AC = \frac{AP}{100} \left( 15 + 70 \times \frac{EPC}{EPP} + 15 \times \frac{WIC}{WIP} \right)$$

AC = चालू वर्ष के लिए अनुबंध राशि।

एपी = पिछले वर्ष की अनुबंध राशि।

ईपीसी = चालू वर्ष के लिए अनुबंध की शुरुआत की तारीख से 6 महीने पहले के विद्युत उत्पादों का थोक मूल्य सूचकांक।

ईपीपी = पिछले वर्ष के लिए अनुबंध की शुरुआत की तारीख से 6 महीने पहले के विद्युत उत्पादों का थोक मूल्य सूचकांक।

WIC = चालू वर्ष के लिए अनुबंध की प्रारंभ तिथि से 6 महीने पहले औद्योगिक श्रमिकों (स्थापना शहर के संबंधित स्थान) के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक।

WIP (कार्यक्रम परिक्रमण की तारीख से 6 महीने पहले के औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, यानी स्थापना शहर का संबंधित स्थान)।

वार्षिक रखरखाव अनुबंध का नवीनीकरण विक्रेता के संतोषजनक प्रदर्शन की समीक्षा, ओईएम के वैध सेवा प्रदाता प्राधिकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के अधीन, प्रतिवर्ष (अप्रैल से मार्च) किया जाएगा और यह नवीनीकरण 06 बार तक सीमित रहेगा।

**D.** सफल बोलीदाता का मूल्यांकन न्यूनतम लागत चयन के आधार पर किया जाएगा। बैंक बिना कोई कारण

9 | पृष्ठ

भारतीय रिज़र्व बैंक, प्लॉट संख्या 16 और 17, आईटी पार्क, देहरादून में स्थित 2 x 20 केवीए यूपीएस सिस्टम के लिए व्यापक वार्षिक रखरखाव अनुबंध।

बताए किसी भी या सभी बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

- E.** अतिरिक्त शर्तों वाली बोलियां / अपूर्ण बोलियां / अनुचित बोलियां / सीलबंद लिफाफों में न होने वाली बोलियां / ईएमडी के साथ न होने वाली बोलियां सीधे तौर पर अस्वीकार कर दी जाएंगी।
- F.** निर्धारित तिथि और समय के बाद जमा की गई बोलियां बैंक द्वारा स्वीकार नहीं की जाएंगी। बोलियां केवल निर्धारित प्रारूप में ही जमा की जानी चाहिए। किसी अन्य प्रारूप में जमा की गई बोलियां बैंक द्वारा स्वीकार नहीं की जाएंगी। इस अनुबंध/बोली से उत्पन्न कोई भी विवाद केवल देहरादून के अधिकार क्षेत्र में ही निपटाया जाएगा।
- G.** एकाधिक/बार-बार/संशोधित निविदाएं स्वीकार नहीं की जाएंगी। एक बोलीदाता एक बोली के सिद्धांत का पालन किया जाना चाहिए। यदि किसी बोलीदाता द्वारा एक से अधिक बोलियां प्रस्तुत की जाती हैं, तो उस बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत सभी बोलियां अस्वीकृत कर दी जाएंगी।
- H.** इस दस्तावेज़ में उल्लिखित सभी दस्तावेजों को जमा करना अनिवार्य है।

## खंड II - विशेष शर्तें

1. **दरों की वैधता:** -उद्धृत दरें अंतिम प्रस्तुति की तिथि से 90 दिनों की अवधि के लिए वैध रहेंगी।
2. **पात्रता मापदंड:** -
  - a. एएमसी ठेकेदार ओईएम (मेसर्स एएएल)/2 x 20 केवीए यूपीएस सिस्टम के ओईएम का अधिकृत सेवा प्रदाता होगा। ओईएम से प्राप्त वैध सेवा प्रदाता प्राधिकरण प्रमाण पत्र/कोई भी ऐसा ही प्रमाण पत्र बोली के साथ संलग्न करना अनिवार्य है, जो उन्हें मेसर्स एएएल की ओर से सेवा प्रदान करने में सक्षम बनाता हो। ठेकेदार/ओईएम अधिकृत सेवा प्रदाता के पास 2 x 20 केवीए यूपीएस सिस्टम की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग / 2 x 20 केवीए यूपीएस सिस्टम की सीएएमसी या इससे उच्चतर के समान कार्यों को करने का कम से कम 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए (कार्य आदेश और ग्राहक प्रमाण पत्रों की प्रतियां बोली के साथ जमा करनी होंगी)।
  - b. ठेकेदार/सेवा प्रदाता को ओईएम से एक पत्र संलग्न करना होगा जिसमें यह लिखा हो कि वह अनुबंध की अवधि के दौरान स्पेयर पार्ट्स के रूप में सेवा सहायता प्रदान करेगा।
  - c. **सेवा सेटअप:** -कंपनी/फर्म देहरादून/उत्तराखंड/पश्चिमी उत्तर प्रदेश/एनसीआर में सेवा व्यवस्था का विवरण प्रस्तुत करेगी। ठेकेदार को एक एस्केलेशन मैट्रिक्स प्रस्तुत करना होगा जिसमें सेवा/रखरखाव संबंधी आवश्यकताओं और खराबी/दोषों के निवारण के लिए संपर्क किए जाने वाले सेवा कर्मियों के संपर्क विवरण शामिल हों।
  - d. ठेकेदार/सेवा प्रदाता को सीएएमसी की कुल अनुमानित लागत का 2% की दर से ईएमडी जमा करना आवश्यक होगा, अर्थात् ₹2,300 /- (केवल दो हजार तीन सौ रुपये).ईएमडी ब्याज रहित होगी और प्रदर्शन बैंक गारंटी प्रस्तुत करने पर जारी की जाएगी।

यह राशि अनिवार्य रूप से नीचे दिए गए खाते में जमा करनी होगी:

11 | पृष्ठ

भारतीय रिज़र्व बैंक, प्लॉट संख्या 16 और 17, आईटी पार्क, देहरादून में स्थित 2 x 20 केवीए यूपीएस सिस्टम के लिए व्यापक वार्षिक रखरखाव अनुबंध।

लाभार्थी का नाम: भारतीय रिज़र्व बैंक, देहरादून।

आईएफएस: RBIS0DNPA01 (पांचवां और दसवां अक्षर शून्य है)

खाता नंबर: 186003001

कृपया लेन-देन का विवरण [estatedehradun@rbi.org.in](mailto:estatedehradun@rbi.org.in) पर भेजें।

**टिप्पणी:** यदि किसी भी बोलीदाता में ऊपर उल्लिखित योग्यताएं नहीं पाई जाती हैं, तो उनकी बोली अस्वीकार कर दी जाएगी।

3. ठेकेदार/सेवा प्रदाता को यूपीएस सिस्टम के सीएएमसी (कंटेंट मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट) के निष्पादन के लिए करार पर हस्ताक्षर करने होंगे। जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:

- a. **करार:** कंपनी/फर्म को कार्य आदेश की तिथि से चौदह (14) दिनों के भीतर निर्धारित प्रारूप में स्टॉप पेपर पर बैंक के साथ एक करार करना होगा। हालांकि, बैंक द्वारा स्वीकृति पत्र जारी करना बाध्यकारी अनुबंध माना जाएगा, जैसे ऐसा करार निष्पादित हो चुका हो, और इस अनुबंध पर सभी नियम और शर्तें लागू होंगी। करार को निष्पादित करने का खर्च सेवा प्रदाता द्वारा वहन किया जाएगा।
- b. **बीमा:** -सफल कंपनी/फर्म को कार्य में लगे श्रमिकों के लिए कर्मचारी क्षतिपूर्ति पॉलिसी बनाए रखनी होगी। सफल कंपनी/फर्म कार्य निष्पादन के दौरान व्यक्तियों, भवन या किसी तीसरे पक्ष को होने वाली किसी भी हानि या क्षति के लिए बैंक को क्षतिपूर्ति प्रदान करेगी। साथ ही, भारतीय रिज़र्व बैंक और सफल बोलीदाता (बैंक का नाम पहले) के संयुक्त नाम से एक तृतीय-पक्ष देयता पॉलिसी प्रस्तुत करें, जिसमें किसी एक दुर्घटना या घटना के लिए प्रति व्यक्ति न्यूनतम 2 लाख रुपये और किसी एक दुर्घटना या घटना में संपत्ति की क्षति के लिए 5.00 लाख रुपये का कवरेज हो।

**टिप्पणी:**ये बीमा पॉलिसियाँ कार्य पूर्ण होने तक वैध रहेंगी। यदि सफल कंपनी/फर्म ये पॉलिसी प्रदान नहीं करती है, तो बैंक को स्वयं उपरोक्त बीमा पॉलिसी लेने और उनकी लागत सफल कंपनी/फर्म के बिल से वसूलने का अधिकार सुरक्षित है।

4. **प्रदर्शन बैंक गारंटी:** सफल बोलीदाता को किसी भी अनुसूचित बैंक से अनुबंध मूल्य के 10% (दस प्रतिशत) के बराबर राशि का पीबीजी (PBG) प्रस्तुत करना होगा (अनुलग्नक VII में दिए गए प्रारूप के अनुसार)। चौदह (14) दिनों के भीतर कार्य आदेश की तिथि से या उपरोक्त खाते में एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से पीबीजी के समतुल्य राशि हस्तांतरित की जाए या मासिक बिलों से पीबीजी के समतुल्य राशि रोकी जाए। इसके लिए सफल बोलीदाता द्वारा बैंक को इस राशि को रोकने के संबंध में स्पष्ट लिखित सहमति देनी होगी (जो स्वीकृति पत्र के साथ प्रस्तुत की जाएगी)। यह राशि अनुबंध के उचित अनुपालन के लिए पीबीजी/सुरक्षा जमा के रूप में मान्य होगी। यह राशि कम से कम संविदात्मक दायित्वों की पूर्ति या पीबीजी के वास्तविक स्वरूप (अर्थात् अनुसूचित बैंक द्वारा जारी) प्रस्तुत किए जाने तक वैध होनी चाहिए। अगले वर्ष से वार्षिक आधार पर सीएएमसी के नवीनीकरण के अधीन, इसे अनुबंध की अवधि के लिए बढ़ाया और विस्तारित किया जा सकता है।
5. एएमसी का भुगतान देहरादून स्थित संपदा विभाग द्वारा तिमाही आधार पर किया जाएगा। इस अनुबंध से उत्पन्न होने वाले विवादों का निपटारा भी देहरादून स्थित न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में किया जाएगा।
6. सीएएमसी की अवधि कार्य आदेश जारी होने की तिथि से 14वें दिन से 31 मार्च, 2026 तक रहेगी। वार्षिक रखरखाव अनुबंध का नवीनीकरण विक्रेता के संतोषजनक प्रदर्शन की समीक्षा और ओईएम के वैध सेवा प्रदाता प्राधिकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के अधीन, प्रतिवर्ष (अप्रैल से मार्च) किया जाएगा और यह नवीनीकरण अधिकतम 6 बार तक सीमित रहेगा।
7. **अनुबंध का नवीनीकरण:**

आगे की अवधि के लिए सीएएमसी की दर का नवीनीकरण निम्नलिखित सूत्र के आधार पर किया जाएगा।

$$AC = \frac{AP}{100} (15 + 70 \times \frac{EPC}{EPP} + 15 \times \frac{WIC}{WIP})$$

AC = चालू वर्ष के लिए अनुबंध राशि।

एपी = पिछले वर्ष की अनुबंध राशि।

ईपीसी = चालू वर्ष के लिए अनुबंध की शुरुआत की तारीख से 6 महीने पहले के विद्युत उत्पादों का थोक मूल्य सूचकांक।

ईपीपी = पिछले वर्ष के लिए अनुबंध की शुरुआत की तारीख से 6 महीने पहले के विद्युत उत्पादों का थोक मूल्य सूचकांक।

WIC = चालू वर्ष के लिए अनुबंध की प्रारंभ तिथि से 6 महीने पहले औद्योगिक श्रमिकों (स्थापना शहर के संबंधित स्थान) के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक।

WIP (कार्यक्रम परिक्रमण की तारीख से 6 महीने पहले के औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, यानी स्थापना शहर का संबंधित स्थान)।

वार्षिक रखरखाव अनुबंध का नवीनीकरण विक्रेता के संतोषजनक प्रदर्शन की समीक्षा, ओईएम के वैध सेवा प्रदाता प्राधिकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के अधीन, प्रतिवर्ष (अप्रैल से मार्च) किया जाएगा और ये नवीनीकरण प्रथम बार के बाद 05 नवीनीकरणों तक सीमित होंगे।

8. **दंड खंड:** सीएएमसी अवधि के दौरान सेवा में देरी के लिए जुर्माना: यदि सीएएमसी अवधि के दौरान डाउन टाइम ऊपर उल्लिखित अवधि से अधिक हो जाता है, तो सेवा प्रदाता को देय किसी भी भुगतान से निम्नलिखित दरों पर दंडात्मक वसूली की जाएगी:

- a. यूपीएस सेवाओं में आंशिक रुकावट – अधिकृत रखरखाव अवधि के बाद प्रतिदिन ₹500/- का शुल्क, अनुबंध राशि के 10% तक।
- b. यूपीएस सेवाओं में आंशिक रुकावट जिसके कारण संपूर्ण सिस्टम विफल हो जाता है - अधिकृत रखरखाव अवधि के बाद प्रतिदिन ₹3000/- का शुल्क, अनुबंध राशि के 10% तक।
- c. इसके अतिरिक्त, यदि 10 दिनों के भीतर खराबी को ठीक नहीं किया जाता है, तो बैंक को ठेकेदार के जोखिम और खर्च पर खराबी को ठीक करवाने का अधिकार होगा। बैंक को ठेकेदार द्वारा सिस्टम को ठीक करने में देरी के लिए जुर्माने के रूप में सुरक्षा जमा राशि जब्त करने/ठेकेदार को देय राशि से वसूली करने और ठेकेदार द्वारा प्रदान की गई सेवा असंतोषजनक पाए जाने पर अनुबंध समाप्त करने का भी अधिकार होगा।

## 9. गोपनीयता कथन

- a. इस दस्तावेज़ में निहित जानकारी या बैंक द्वारा या उसकी ओर से या उसके किसी भी कर्मचारी द्वारा कंपनी/फर्म को मौखिक रूप से या दस्तावेजी रूप में बाद में प्रदान की गई जानकारी, इस दस्तावेज़ में निर्धारित नियमों और शर्तों तथा ऐसी जानकारी प्रदान करने से संबंधित अन्य सभी नियमों और शर्तों के अधीन होगी।
- b. इस दस्तावेज़ का उद्देश्य कंपनी/फर्म को उनके प्रस्तावों को तैयार करने में सहायता के लिए जानकारी प्रदान करना है।
- c. यह दस्तावेज़ कंपनी/फर्म को आवश्यक सभी जानकारी प्रदान करने का दावा नहीं करता है।
- d. यह दस्तावेज़ सभी व्यक्तियों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता है, और बैंक और/या उसके कर्मचारियों के लिए इस दस्तावेज़ को पढ़ने या उपयोग करने वाली कंपनी/फर्म के निवेश उद्देश्यों, वित्तीय स्थिति और विशेष आवश्यकताओं पर विचार करना संभव नहीं है।

- e. कंपनी/फर्म को अपनी स्वयं की जांच और विश्लेषण करना चाहिए तथा इस दस्तावेज़ में दी गई जानकारी की सटीकता, विश्वसनीयता और पूर्णता की जांच करनी चाहिए तथा जहां आवश्यक हो, उपयुक्त स्रोतों से स्वतंत्र सलाह प्राप्त करनी चाहिए।
- f. बैंक और उसके कर्मचारी इस दस्तावेज़ की सटीकता, विश्वसनीयता या पूर्णता के संबंध में किसी भी प्रकार का प्रतिनिधित्व या वारंटी नहीं देते हैं और न ही किसी कानून, अधिनियम, नियम या विनियम के तहत किसी भी प्रकार के दायित्व के लिए उत्तरदायी होंगे।
- g. यह दस्तावेज़ और इसमें दी गई जानकारी गोपनीय है और इसका उपयोग केवल कंपनी/फर्म के लिए ही किया जाना है।
- h. ठेकेदार बैंक के बुनियादी ढांचे/प्रणाली/उपकरण आदि से संबंधित कोई भी जानकारी, जो उसे अपने संविदात्मक दायित्वों के निर्वाह के दौरान प्राप्त हो, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी तीसरे पक्ष को प्रकट नहीं करेगा और उसे हर समय पूर्ण गोपनीयता में रखेगा। उपरोक्त का पालन न करने पर ठेकेदार द्वारा अनुबंध का उल्लंघन माना जाएगा और बैंक क्षतिपूर्ति का दावा करने और कानूनी उपाय करने का हकदार होगा।

### खंड III – सामान्य शर्तें

#### A. सेवाएं/कंपनी/फर्म द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं:

कंपनी/फर्म को निम्नलिखित कार्य करने होंगे:

- i. यह सुनिश्चित करें कि वह कार्यों को पूरा करने के लिए प्रशिक्षित/योग्य और सक्षम व्यक्तियों को तैनात करे जो शारीरिक रूप से स्वस्थ हों और किसी भी प्रकार की दीर्घकालिक या संक्रामक बीमारी से पीड़ित न हों।
- ii. बैंक/नियोक्ता द्वारा समझौते के तहत अपेक्षित सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से उसके द्वारा नियोजित व्यक्तियों को वेतन, वैधानिक न्यूनतम मजदूरी और अन्य कानूनी देय राशियों के भुगतान के लिए जिम्मेदार और उत्तरदायी होना।
- iii. यह सुनिश्चित करें कि इस करार के तहत बैंक द्वारा अपेक्षित सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से उनके द्वारा नियोजित सभी व्यक्ति भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बीमा कंपनियों से बीमित हों, जिसके लिए बैंक द्वारा कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा। कंपनी/फर्म किसी भी व्यक्ति, पशु या अन्य वस्तु को हुई किसी भी चोट या क्षति के लिए उत्तरदायी होगी।
- iv. यह सुनिश्चित करें कि बैंक के कार्यालय परिसर में या इस समझौते के तहत अपने दायित्वों का निर्वहन करते समय, उनके कर्मचारी बैंक या उसके अधिकृत एजेंटों द्वारा निर्धारित स्वच्छता, शिष्टाचार, सुरक्षा, अच्छे व्यवहार और सामान्य अनुशासन के मानकों का पालन करें, और बैंक/नियोक्ता इस बात का एकमात्र निर्णायक होगा कि कंपनी/फर्म और/या उसके कर्मचारियों ने इनका पालन किया है या नहीं।
- v. व्यक्तिगत रूप से, और अपने कर्मचारियों के काम की विशेष रूप से निगरानी करना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस समझौते के तहत प्रदान की गई सेवाएं बैंक की संतुष्टि के अनुसार पूरी की जाएं।

- vi. यह सुनिश्चित करें कि कंपनी/फर्म का कोई भी कर्मचारी बैंक के परिसर में निर्धारित समय सीमा से अधिक समय तक प्रवेश न करे या वहां न रहे, जब तक कि कंपनी/फर्म के दायित्वों को पूरा करने के लिए यह बिल्कुल आवश्यक न हो।
- vii. कंपनी/फर्म या उसके कर्मचारियों या एजेंटों के किसी भी कृत्य, चूक, गलती या लापरवाही के कारण बैंक या उसके परिसर या उसके किसी भी हिस्से या उसमें लगे किसी भी उपकरण या फिटिंग को या बैंक की किसी भी संपत्ति को हुए किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी होगा।
- viii. बैंक के कार्यालय भवन/परिसर में काम करने वाले कर्मचारियों या एजेंटों को पहचान पत्र उपलब्ध कराएं। सभी कर्मचारियों और एजेंटों को बैंक कार्यालय परिसर में काम करते समय हर समय पहचान पत्र और अपनी वर्दी साथ रखनी होगी।

## B. न्यूनतम वेतन

- I. कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि उसके द्वारा नियोजित कामगारों को अनुबंध श्रम अधिनियम 1970/नवीनतम संहिता 2019 के अनुसार एनईएफटी के माध्यम से उनके बैंक खाते में न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया जाए।
- II. सफल कंपनी/फर्म कार्य सौंपे जाने से पहले, नियोक्ता को उपयुक्त मूल्य के गैर-न्यायिक स्टॉप पत्र पर यह वचन देना होगा कि वह उस कार्य को पूरा करने के लिए नियुक्त किए जाने वाले सभी प्रकार के श्रमिकों को सीएलआरए अधिनियम के तहत निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से कम दर पर मजदूरी का भुगतान करेगा और साथ ही प्रधान नियोक्ता को ऐसे वेतन का भुगतान करने और आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने में विफल रहने पर वैधानिक अधिकारियों द्वारा प्रधान नियोक्ता के खिलाफ शुरू की जा सकने वाली सभी कार्रवाइयों से सुरक्षित रखेगा।
- III. सफल कंपनी/फर्म, वेतन भुगतान अधिनियम, 1936, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 और

संहिता 2019, संविदा श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 या इस संबंध में लागू किसी अन्य श्रम कानून/अधिनियम के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन के कारण होने वाली सभी हानियों और दावों, क्षतियों या मुआवजे के विरुद्ध बैंक को क्षतिपूर्ति प्रदान करेगी और क्षतिपूर्ति की भरपाई करती रहेगी। इस संबंध में किसी भी प्रकार की देनदारी के लिए केवल फर्म ही जिम्मेदार होगी।

**C. यौन उत्पीड़न संबंधी धारा:**सेवा प्रदाता/एजेंसी को "कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013" के प्रावधानों का पालन करना होगा।

- a. सेवा प्रदाता एजेंसी बैंक परिसर के भीतर किसी कर्मचारी के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत की स्थिति में, सेवा प्रदाता/एजेंसी "कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम निषेध और निवारण) अधिनियम 2013" के प्रावधानों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगी। शिकायत सेवा प्रदाता/एजेंसी द्वारा गठित आंतरिक शिकायत समिति के समक्ष दर्ज की जाएगी और सेवा प्रदाता/एजेंसी उक्त अधिनियम के तहत शिकायत के संबंध में उचित कार्रवाई सुनिश्चित करेगी।
- b. सेवा प्रदाता के किसी भी पीड़ित कर्मचारी द्वारा बैंक के किसी भी कर्मचारी के खिलाफ यौन उत्पीड़न की कोई भी शिकायत बैंक द्वारा गठित क्षेत्रीय शिकायत समिति द्वारा संज्ञान में ली जाएगी।
- c. अगर घटना में सेवा प्रदाता के कर्मचारी शामिल हैं, तो किसी भी मौद्रिक क्षतिपूर्ति के लिए सेवा प्रदाता जिम्मेदार होगा, उदाहरण के लिए, अगर सेवा प्रदाता के कर्मचारी द्वारा यौन हिंसा साबित होती है, तो बैंक के कर्मचारी को देय किसी भी मौद्रिक मुआवजे के लिए जिम्मेदार होगा।
- d. सेवा प्रदाता कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम और संबंधित मुद्दों के बारे में अपने कर्मचारियों को शिक्षित करने के लिए जिम्मेदार होगा।

e. सेवा प्रदाता बैंक परिसर में तैनात अपने कर्मचारियों की एक पूर्ण और अद्यतन सूची प्रदान करेगा।

**D. गोपनीयता खंड:** कंपनी/फर्म इस अनुबंध के अंतर्गत अपने दायित्वों के निर्वहन के दौरान बैंक के बुनियादी ढांचे/प्रणालियों/उपकरणों आदि से संबंधित कोई भी जानकारी, सामग्री और विवरण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी तीसरे पक्ष को प्रकट नहीं करेगी और इसे हर समय पूरी तरह गोपनीय रखेगी। कंपनी/फर्म अनुबंध के विवरण को निजी और गोपनीय रखेगी, सिवाय उस सीमा तक जहां अनुबंध के अंतर्गत दायित्वों का निर्वहन करना या लागू कानूनों का अनुपालन करना आवश्यक हो। कंपनी/फर्म नियोक्ता की पूर्व लिखित सहमति के बिना किसी भी व्यापारिक या तकनीकी पत्रिका या अन्य किसी भी स्थान पर कार्यों का कोई भी विवरण प्रकाशित नहीं करेगी, न ही प्रकाशित करने की अनुमति देगी और न ही उसका खुलासा करेगी। गोपनीय जानकारी के प्रकटीकरण के परिणामस्वरूप नियोक्ता को हुई किसी भी हानि के लिए कंपनी/फर्म नियोक्ता को क्षतिपूर्ति प्रदान करेगी। उपरोक्त का पालन न करना कंपनी/फर्म द्वारा अनुबंध का उल्लंघन माना जाएगा और नियोक्ता क्षतिपूर्ति का दावा करने और कानूनी उपाय करने का हकदार होगा।

कंपनी/फर्म अपने कर्मचारियों के संबंध में यह सुनिश्चित करने के लिए सभी उचित कार्रवाई करेगी कि इस समझौते के तहत गोपनीय जानकारी के गैर-खुलासे संबंधी दायित्वों का पूरी तरह से पालन किया जाए।

किसी भी कारण से इस समझौते की समाप्ति या निरस्त होने के बाद भी, कंपनी/फर्म के गोपनीयता और गैर-खुलासे संबंधी दायित्व बने रहेंगे।

## **F. बीमा**

सफल कंपनी/फर्म को कार्य में लगे श्रमिकों के लिए कर्मचारी क्षतिपूर्ति पॉलिसी बनाए रखनी होगी। सफल कंपनी/फर्म कार्य निष्पादन के दौरान व्यक्तियों, भवन या किसी तीसरे पक्ष को होने वाली किसी भी हानि या क्षति के लिए बैंक को क्षतिपूर्ति प्रदान करेगी। साथ ही, भारतीय रिज़र्व बैंक और सफल बोलीदाता (बैंक का नाम पहले) के संयुक्त नाम से एक तृतीय-पक्ष देयता पॉलिसी प्रस्तुत करें, जिसमें किसी एक दुर्घटना या घटना के लिए प्रति व्यक्ति न्यूनतम 2 लाख रुपये और किसी एक दुर्घटना या घटना में संपत्ति की क्षति के लिए 5.00 लाख रुपये का कवरेज हो।

**टिप्पणी:** ये बीमा पॉलिसियाँ कार्य पूर्ण होने तक वैध रहेंगी। यदि सफल कंपनी/फर्म ये पॉलिसियाँ प्रदान नहीं करती है, तो बैंक को स्वयं उपरोक्त बीमा पॉलिसियाँ लेने और उनकी लागत सफल कंपनी/फर्म के बिल से वसूलने का अधिकार सुरक्षित है।

#### **G. अनुबंध की समाप्ति:**

- i. बिना किसी पूर्वाग्रह के यदि उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन होता है, तो बैंक अपने पूर्ण विवेकाधिकार पर, बिना कोई कारण बताए और बिना किसी मुआवजे का भुगतान किए, लिखित सूचना द्वारा इस समझौते को तत्काल समाप्त करने का हकदार होगा।
  - a) बैंक की राय में (जिस पर कंपनी/फर्म द्वारा कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता है और जो कंपनी/फर्म पर बाध्यकारी होगी), यदि कंपनी/फर्म बैंक की संतुष्टि के अनुसार इस समझौते को लागू करने में विफल रहती है या इनकार करती है, तो
  - b) कंपनी/फर्म प्रतिबद्ध है इस समझौते की किसी भी शर्त और नियम का उल्लंघन और/या
  - c) किसी भी कारणवश, यदि कंपनी/फर्म इस समझौते के अंतर्गत अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए कानूनी रूप से अयोग्य हो जाती है और/या
  - d) बैंक की पूर्व लिखित स्वीकृति के बिना कंपनी/फर्म या उसके व्यवसाय के स्वामित्व/साझेदारी

या प्रबंधन में कोई भी परिवर्तन होता है।

ii. किसी भी कारण से इस करार की समाप्ति की स्थिति में, कंपनी/फर्म/या उसके द्वारा नियोजित व्यक्ति या उसके एजेंट बैंक से किसी भी प्रकार की राशि, मुआवजे, हर्जाने या अन्य किसी रूप में प्राप्त करने के हकदार नहीं होंगे।

**H. स्टॉप शुल्क:** इस करार के स्टॉप शुल्क का खर्च कंपनी/फर्म वहन करेगी। बैंक मूल प्रति अपने पास रखेगा और कंपनी/फर्म इसकी एक प्रति अपने पास रखेगी।

**I. कंपनी/फर्म उसके/उनके द्वारा नियोजित कामगारों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करेगी।**

**J. अनुबंध के विभिन्न हिस्सों को कंपनी/फर्म द्वारा पढ़ लिया गया है और पूरी तरह से समझ लिया गया है।**

**K. इस अनुबंध के अंतर्गत नियोक्ता द्वारा किए जाने वाले सभी भुगतान केवल देहरादून में ही किए जाएंगे।**

**L. उक्त अनुबंध राशि का भुगतान उक्त शर्तों में निर्धारित समय और तरीके से किया जाना है, जिसके बदले में कंपनी/फर्म उक्त शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त विनिर्देशों और मात्राओं की अनुसूची में दर्शाए गए कार्य को निष्पादित और पूरा करेगी।**

**M. नियोक्ता उक्त अनुबंध राशि या ऐसी अन्य राशि जो उक्त शर्तों में निर्दिष्ट समय और तरीके से देय हो जाए, कंपनी/फर्म को भुगतान करेगी।**

**N. उक्त शर्तों और उनके अनुलग्नक इस करार का हिस्सा माने जाएंगे और इसमें शामिल पक्षकार क्रमशः उक्त शर्तों का पालन करेंगे, उनके प्रति प्रतिबद्ध होंगे और उक्त शर्तों में निहित अपने-अपने हिस्से के करार का निष्पादन करेंगे।**

इस अनुबंध का आधार इसमें उल्लिखित करार और दस्तावेज होंगे।

अगर कंपनी/फर्म पार्टनरशिप या कोई व्यक्ति है।	इसके प्रमाण स्वरूप, नियोक्ता और कंपनी/फर्म ने उपरोक्त दिनांक और वर्ष को इस दस्तावेज और इसकी दो प्रतियों पर अपने-अपने हस्ताक्षर किए हैं।
अगर कंपनी/फर्म पार्टनरशिप या कोई व्यक्ति है। अगर कंपनी/फर्म कोई कंपनी है।	इसके प्रमाण स्वरूप नियोक्ता ने अपने विधिवत अधिकृत अधिकारी के माध्यम से इन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए हैं और कंपनी/फर्म ने इस पर अपनी मुहर लगवाई है तथा उक्त प्रतिलिपि/इन दस्तावेजों और इनकी उक्त दो प्रतिलिपियों को ऊपर लिखे दिनांक और वर्ष को अपनी ओर से निष्पादित करवाया है,

### हस्ताक्षर खंड:

भारतीय रिजर्व बैंक, देहरादून द्वारा हस्ताक्षरित और वितरित।

(नाम और पदनाम) की उपस्थिति में: गवाह:

1. \_

---

पता:

2.

---

पता:

यदि पक्षकार कोई साझेदारी फर्म या व्यक्ति है: (नाम और पदनाम)

23 | पृष्ठ

भारतीय रिजर्व बैंक, प्लॉट संख्या 16 और 17, आईटी पार्क, देहरादून में स्थित 2 x 20 केवीए यूपीएस सिस्टम के लिए व्यापक वार्षिक रखरखाव अनुबंध।

की उपस्थिति में:

गवाह:

1. पता: \_\_\_\_\_

1. \_\_\_\_\_ पता: \_\_\_\_\_

नोट: बैंक के पास अनुबंध निष्पादित होने से पहले करार की शर्तों में बदलाव करने का अधिकार सुरक्षित है।

ग्राहकों की सूची के लिए प्रोफ़ार्मा

क्रमांक।	विवरण	ग्राहक (1)	ग्राहक (2)	ग्राहक (3)
1	नाम, पता, फैक्स और टेलीफोन नंबर			
2	परियोजना का नाम, स्थान और पता।			
3	कार्य का संक्षिप्त विवरण			
4	पूर्ण किए गए कार्य का मूल्य			
5	अनुबंध प्रदान करने की तिथि			
6	कार्य पूर्ण होने की तिथि			
7	क्या यह कार्य वास्तुकार/सलाहकार की देखरेख में किया गया था, यदि हां, तो विवरण दें।			

(तीन से अधिक ग्राहकों के मामले में अतिरिक्त कॉलम जोड़ें)

कंपनी की मुहर

तारीख:

स्थान:

कंपनी/फर्म के हस्ताक्षर

नाम:

पदनाम:

पता:

ईमेल:

फोन:

**करार की शर्तें**

<b>करार की शर्तें</b>	<b>Articles of Agreement</b>
<p>यह करार वर्ष 202_ के .....दिन एक तरफ से भारतीय रिज़र्व बैंक, प्लॉट संख्या 16 और 17, आईटी पार्क, देहरादून जिसका केंद्रीय कार्यालय मुंबई में है - 400 001 (जिसे इसके बाद इसे "नियोक्ता" कहा गया है) और दूसरी तरफ....., एक कंपनी जिसका पंजीकृत कार्यालय ___ में स्थित है (इसके बाद "ठेकेदार" कहा गया है) के बीच किया गया है।</p> <p>जबकि नियोक्ता भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा तैयार किए जाने वाले कार्य का वर्णन करते हुए विनिर्देशों के अनुसार बैंक के कार्यालय..... में.....यह कार्य प्रदान करने का इच्छुक है।</p> <p>और जबकि ठेकेदार निविदा/कोटेशन/यहां उल्लिखित शर्तों (इसके पश्चात इन सभी को कथित शर्तों के रूप में संदर्भित किया गया है) के अधीन कार्य करने के लिए सहमत है। यह कार्य वह यहां आगे उल्लिखित संबंधित दरों पर जो कि ..... के बराबर है, ..... की अवधि के लिए कोटेशन/कार्य आदेश में उद्धृत की गई दर पर या इसके अंतर्गत देय होने वाली अन्य किसी राशि पर निष्पादित करने के लिए सहमत है।</p> <p>अब इस पर निम्नानुसार सहमति हुई है:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>उक्त शर्तों में निर्धारित समय और तरीके से भुगतान की जाने वाली उक्त संविदा राशि को ध्यान में रखते हुए, ठेकेदार उक्त शर्तों के अधीन उक्त विनिर्देशों में दर्शाए गए और वर्णित कार्य को निष्पादित और पूरा करेगा।</li> <li>नियोक्ता ठेकेदार को उक्त संविदा राशि या ऐसी अन्य राशि का भुगतान करेगा, जो निविदा शर्तों</li> </ol>	<p>ARTICLES OF AGREEMENT made the day of , 20 between the RESERVE BANK OF INDIA, PLOT NO. 16 &amp; 17, IT PARK, DEHRADUN having its Central Office at Mumbai - 400 001. (Hereinafter called "the Employer") of the one part and .....</p> <p>..... a Company having its Registered Office at ..... (hereinafter called the "Contractor") of the other part.</p> <p>WHEREAS the Employer is desirous of awarding the work of .....</p> <p>..... at Bank's .....</p> <p>as per the specifications describing the work to be done to be prepared by Reserve Bank of India.</p> <p>AND WHEREAS the Contractor has agreed to execute the subject to the conditions set forth in the tender / quotation / herein (all of which are collectively hereinafter referred to as "the said conditions") at the respective rates therein set forth amounting to the sum of Rupees.....</p> <p>..... as applicable for the period from to at the rate quoted in the quotation / work order / as therein arrived at of such other sum as shall become payable there under.</p> <p>NOW IT IS HEREBY AGREED AS</p>

में निर्दिष्ट समय और तरीके से देय होगी।

3. उपर्युक्त शर्तों में, संपदा विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, प्लॉट संख्या 16 और 17, आईटी पार्क, देहरादून के प्रभारी सहायक महाप्रबंधक (संपदा) नियोक्ता की ओर से कार्य करेंगे।

4. उक्त शर्तों और उनके परिशिष्ट को इस करार के हिस्से के रूप में पढ़ा और समझा जाएगा और इसके पक्षकार क्रमशः उक्त शर्तों का पालन करेंगे, उन्हें मानेंगे और उक्त शर्तों में क्रमशः अपनी ओर से करारों का पालन करेंगे।

5. संविदा और यहां उल्लिखित दस्तावेज इस संविदा का आधार बनेंगे।

6. नियोक्ता अपने पास कार्य की प्रकृति को बदलने का अधिकार सुरक्षित रखता है जिसमें कार्य की किसी भी वस्तु को जोड़ सकता या हटा सकता है या उसके कुछ हिस्सों को इस संविदा पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना करवा सकता है।

7. इस अनुबंध के तहत नियोक्ता द्वारा सभी भुगतान केवल देहरादून में किए जाएंगे।

8. इस करार से उत्पन्न होने वाले या किसी भी तरह से जुड़े सभी विवादों को देहरादून में उत्पन्न माना जाएगा और केवल देहरादून के न्यायालयों के पास इसे निर्धारित करने का अधिकार क्षेत्र होगा।

9. कि इस संविदा के कई हिस्सों को ठेकेदार द्वारा पढ़ा गया है और ठेकेदार द्वारा पूरी तरह से समझा गया है।

10. भविष्य में नवीनीकरण बैंक के नियमों के

FOLLOWS: -

1. In consideration of the said Contract Amount to be paid at the times and in the manner set forth in the tender conditions, the Contractor shall upon and subject to the said Conditions execute and complete the work shown and described in the said specifications.

2. The Employer shall pay the Contractor the said Contract Amount or such other sum as shall become payable, at the times and in the manner specified in the said Conditions.

3. In the said Conditions herein before mentioned, the Assistant General Manager (Estate) in charge of the Estate Department, Reserve Bank of India, Plot No. 16 & 17, IT Park, Dehradun shall act on behalf of the Employer.

4. The said conditions and Appendix thereto shall be read and construed as forming part of this Agreement and the parties hereto shall respectively abide by, submit themselves to the said Conditions and perform the agreements on their part respectively in the said Conditions contained.

5. The Agreement and the Documents mentioned herein shall form the basis of this Contract.

6. The Employer reserves to itself the right of altering the nature of the work by adding to or omitting any items of work or having portions of the same carried out without prejudice to this Contract.

अनुसार होगा।

11. कार्य आदेश पत्र सं.....इस करार का हिस्सा होगा।

12. निविदा /कोटेशन में एएमसी से संबंधित सभी नियम और शर्तों को भी ठेकेदार द्वारा माना जाएगा।

13. **गैर-प्रकटीकरण खंड:** ठेकेदार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बैंक की बुनियादी सुविधा/ प्रणालियों / उपकरणों आदि की किसी भी जानकारी, सामग्री और विवरण का खुलासा नहीं करेगा, जो इस करार के संबंध में अपने संविदात्मक दायित्वों के निर्वहन के दौरान ठेकेदार के कब्जे या जानकारी में आ सकता है और हर समय पूरी तरह से गोपनीय रखेगा। ठेकेदार संविदा के विवरण को निजी और गोपनीय मानेगा, केवल इसे छोड़कर जो इसके तहत उसके दायित्वों को पूरा करने या लागू कानूनों का पालन करने के लिए आवश्यक हो। ठेकेदार नियोक्ता की पूर्व लिखित सहमति के बिना किसी भी व्यापार या तकनीकी पत्र या कहीं और कार्यों के किसी भी विवरण को प्रकाशित, प्रकाशित करने की अनुमति या प्रकट नहीं करेगा। ठेकेदार किसी भी गोपनीय जानकारी के प्रकटीकरण के परिणामस्वरूप नियोक्ता को होने वाले किसी भी नुकसान के लिए नियोक्ता की क्षतिपूर्ति करेगा। उपर्युक्त का पालन नहीं करने पर ठेकेदार की ओर से संविदा का उल्लंघन माना जाएगा और नियोक्ता नुकसान का दावा करने और कानूनी उपाय करने का हकदार होगा।

ठेकेदार यह अपने कर्मचारियों के संबंध में सभी प्रकार की उचित कार्रवाई करेगा जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि इस करार के तहत गोपनीय जानकारी के गैर-प्रकटीकरण का दायित्व पूरी तरह से पूरा हो गया है।

गैर-प्रकटीकरण और गोपनीयता के संबंध में ठेकेदार के दायित्व किसी भी कारण से इस करार

7. All Payments by the Employer under this Contract will be made only at Dehradun.

8. All disputes arising out of or in any way connected with this agreement shall be deemed to have arisen at Dehradun and only Courts in Dehradun shall have jurisdiction to determine the same.

9. That the several parts of this Contract have been read by the Contractor and fully understood by the Contractor.

10. Future renewals will be as per Bank's rules.

11. The work order letter no. ....dated ..... will form part of the agreement.

12. All terms and conditions pertaining to AMC in the tender/ quotation will also be honoured by the Contractor.

13. **Non-disclosure clause:** "The contractor shall not disclose directly or indirectly any information, materials and details of the Bank's infrastructure/Systems/equipment etc., which may come to the possession or knowledge of the Contractor during the course of discharging its contractual obligations in connection with this agreement, to any third party and shall at all times hold the same in strictest confidence. The contractor shall treat the details of the contract as private and confidential, except to the extent necessary to carry out the obligations

की समाप्ति या इसे समाप्त किए जाने के बाद भी बना रहेगा।

#### **14. लैंगिक उत्पीड़न खंड:**

सेवा प्रदाता / एजेंसी "कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013" के प्रावधानों का पालन करेगा।

सेवा प्रदाता एजेंसी बैंक परिसर में अपने कर्मचारी के खिलाफ लैंगिक उत्पीड़न की किसी भी शिकायत के मामले में "कार्यस्थल पर महिलाओं का उत्पीड़न (रोकथाम निषेध और निवारण) अधिनियम 2013" के प्रावधानों के पूर्ण अनुपालन के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगी। सेवा प्रदाता/एजेंसी द्वारा गठित आंतरिक शिकायत समिति के समक्ष शिकायत दर्ज की जाएगी और सेवा प्रदाता/एजेंसी शिकायत के संबंध में उक्त अधिनियम के तहत उचित कार्रवाई सुनिश्चित करेगी।

बैंक के किसी भी कर्मचारी के खिलाफ सेवा प्रदाता के किसी भी पीड़ित कर्मचारी से लैंगिक उत्पीड़न की किसी भी शिकायत पर बैंक द्वारा गठित क्षेत्रीय शिकायत समिति द्वारा संज्ञान लिया जाएगा।

सेवा प्रदाता किसी भी मौद्रिक मुआवजे के लिए जिम्मेदार होगा जो उसे सेवा प्रदाता के कर्मचारियों के इसमें शामिल होने की स्थिति में भुगतान करने की आवश्यकता हो सकती है, उदाहरणतः यदि सेवा प्रदाता के कर्मचारी द्वारा लैंगिक उत्पीड़न सिद्ध हो जाने पर बैंक कर्मचारी को कोई मौद्रिक राहत देनी पड़े। सेवा प्रदाता कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न की रोकथाम और संबंधित मुद्दों के बारे में अपने कर्मचारी को शिक्षित करने के लिए जिम्मेदार होगा।

**15. शासी भाषा:** यह करार अंग्रेजी और हिंदी में निष्पादित किया गया है। यदि इस संविदा का हिंदी

under it or to comply with applicable laws. The contractor shall not publish, permit to be published, or disclose any particulars of the works in any trade or technical paper or elsewhere without the previous written consent of the Employer. The contractor shall indemnify the Employer for any loss suffered by the Employer as a result of disclosure of any confidential information. Failure to observe the above shall be treated as breach of contract on the part of the Contractor and the Employer shall be entitled to claim damages and pursue legal remedies.

The Contractor shall take all appropriate actions with respect to its employees to ensure that the obligations of non-disclosure of confidential information under this agreement are fully satisfied.

The Contractor's obligations with respect to non-disclosure and confidentiality will survive the expiry or termination of this agreement for whatever reason."

#### **14. SEXUAL HARASSMENT**

The Contractor / Agency shall comply with the provisions of "the Sexual Harassment of women at work place (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013". In case of any complaint of sexual harassment against its employee within the premises of the Bank, the complaint will be filed before the Internal Complaints Committee constituted by the Contractor / Agency and the Contractor/Agency shall ensure appropriate action under the said Act in respect to the complaint.

Any complaint of sexual harassment

अनुवाद अंग्रेजी संस्करण के साथ विरोध करता है या इसमें अंग्रेजी संस्करण के अतिरिक्त या उससे अलग शब्द शामिल हैं, तो अंग्रेजी संस्करण को माना जाएगा।

इसके साक्ष्य में, नियोक्ता ने अपने विधिवत प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से इस पर हस्ताक्षर किए हैं और ठेकेदार ने इस पर अपनी मुहर लगाई है और इसे उपर्युक्त दिन और वर्ष को दो प्रतियों में निष्पादित किया है।

from any aggrieved employee of the contractor against any employee of the Bank shall be taken cognizance of by the Regional Complaints Committee constituted by the Bank.

The contractor shall be responsible for any monetary compensation that may need to be paid in case the incident involves the employees of the contractor, for instance any monetary relief to Bank's employee, if sexual violence by the employee of the contractor is proved. The contractor shall be responsible for educating its employees about prevention of sexual harassment at workplace and related issues.

15. Governing Language: This Agreement has been executed in English and Hindi. If Hindi translation of this Agreement conflicts with the English version or contains terms in addition to or different from the English version, the English version shall prevail.

16. IN WITNESS WHEREOF the Employer has set its hands to these presents through its duly authorized official and the Contractor has caused its common seal to be affixed hereunto and the said two duplicates/ has caused these presents and the said two duplicates hereof to be executed on its behalf, the day and year first herein above written.

ठेकेदार की ओर से हस्ताक्षरित एवं सुपुर्द

SIGNED AND DELIVERED BY  
the Contractor by the hand of

श्री .....

Shri \_\_\_\_\_

<p>(नाम एवं पदनाम) इनकी उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए</p> <p>1) ..... ..... पता ..... ..... पता ..... ..</p> <p>(गवाह)</p>	<p>Address _____ _____</p> <p>in the presence of</p> <p>1) _____ Address _____</p> <p>2) _____ Address _____</p> <p>(Witnesses)</p>
<p>भारतीय रिज़र्व बैंक की ओर से हस्ताक्षरित एवं सुपुर्द</p>	<p>SIGNED AND DELIVERED BY the Reserve Bank of India by the hand of</p>
<p>2) ..... ..... पता ..... .....</p> <p>3) ..... ..... पता ..... .....</p> <p>(गवाह)</p>	<p>Shri _____ (Name &amp; Designation)</p> <p>in the presence of</p> <p>1) _____ Address _____</p> <p>2) _____ Address _____</p> <p>(Witnesses)</p>

## अनुलग्नक - III

### एक अनुसूचित बैंक से बैंकर्स प्रमाणपत्र का प्रारूप

1.	फर्म की संरचना (साझेदारी/ निजी सीमित/ एकल स्वामित्व/ सार्वजनिक सीमित)।
2.	फर्म के मालिक/ साझेदारों/ निदेशकों के नाम।
3.	पिछले 3 वर्षों के लिए फर्म का टर्नओवर (वर्षवार)।
4.	फर्म द्वारा प्राप्त क्रेडिट सुविधा/ ओवरड्राफ्ट सुविधा।
5.	डीलिंग्स
6.	फर्म आपके बैंक के साथ कितने समय से बैंकिंग कर रही है।
7.	कोई अन्य टिप्पणी

(हस्ताक्षर)  
बैंक हेतु

#### नोट:

1. बैंकर्स प्रमाणपत्र बैंक के लेटरहेड पर होना चाहिए, और एनलिस्टमेंट प्राधिकारी के लिए लिफाफे में सील किया जाना चाहिए।
2. साझेदारी फर्म के मामले में, प्रमाणपत्र में बैंक में दर्ज सभी साझेदारों के नाम शामिल होने चाहिए।

प्रस्ताव पर हस्ताक्षर के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी का प्रारूप  
(उपयुक्त मूल्य के गैर-न्यायिक स्टैम्प पेपर पर)

सभी लोगों को यह ज्ञात हो, कि हम .....(कंपनी/फर्म का नाम और उनके पंजीकृत कार्यालय का पता) यहां घोषणा करते हैं, नियुक्त करते हैं और अधिकृत करते हैं श्री/श्रीमती ..... (पावर ऑफ अटॉर्नी धारक का नाम और निवास पता) जो वर्तमान में हमारे साथ कार्यरत हैं और ..... पद पर आसीन हैं, को हमारे अटॉर्नी के रूप में, हमारे नाम से और हमारी ओर से, उक्त परियोजना के लिए हमारे बोली के संबंध में या उससे संबंधित सभी आवश्यक कार्य, कृत्य और बातें करने के लिए, जिसमें भारतीय रिज़र्व बैंक, प्लॉट नं. 16 एवं 17, आईटी पार्क, देहरादून में 2 X 20 KVA UPS सिस्टम के लिए व्यापक वार्षिक रखरखाव अनुबंध (CAMC) के लिए आइटम रेट अनुबंध के आधार पर दस्तावेजों पर हस्ताक्षर और उनका प्रस्तुतीकरण, आरबीआई को जानकारी/प्रतिक्रिया प्रदान करना, आरबीआई के समक्ष सभी मामलों में हमारा प्रतिनिधित्व करना, और सामान्य रूप से उक्त परियोजना के लिए हमारे प्रस्ताव से संबंधित सभी मामलों में आरबीआई के साथ व्यवहार करना शामिल है।

हम एतद्वारा इस पावर ऑफ अटॉर्नी के तहत हमारे उक्त अटॉर्नी द्वारा विधिवत रूप से किए गए सभी कार्यों, कृत्यों और चीजों की पुष्टि करने के लिए सहमत हैं और यह कि हमारे उपरोक्त अटॉर्नी द्वारा किए गए सभी कार्य, कृत्य और चीजें हमारे द्वारा किए गए माने जाएंगे और हमेशा हमारे द्वारा ही किए गए माने जाएंगे।

टिप्पणी:

पावर ऑफ अटॉर्नी पर विधिवत मुहर लगी होनी चाहिए और यह नोटरीकृत होनी चाहिए।  
प्रस्तुत की गई पावर ऑफ अटॉर्नी अपरिवर्तनीय होगी।

कंपनी/फर्म के हस्ताक्षर

नाम

कंपनी/फर्म की मुहर/स्टाम्प

(नोट: इस गारंटी पर उस राज्य में लागू स्टांप शुल्क लगेगा, जहां इसे निष्पादित किया गया है, और इस पर उस अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे जिसके हस्ताक्षर और अधिकार का सत्यापन किया जाएगा)।

सेवा सेटअप का विवरण

1	पता	
2	टेलीफोन नंबर	
3	फैक्स नंबर	
4	मेल पता	
5	इंजीनियर, तकनीशियन आदि की संख्या का विवरण, जिसमें उनकी योग्यता और पदनाम, संपर्क नंबर आदि शामिल हों।	

1. कृपया उपर्युक्त कार्यालय का विवरण स्पष्ट रूप से बताएं, जहां से देहरादून में प्रस्तावित प्रणाली के लिए सेवा प्रदान की जाएगी।
2. आवश्यकतानुसार अतिरिक्त शीट संलग्न करें।

कंपनी की मुहर

तारीख:

जगह:

कंपनी/फर्म के हस्ताक्षर

नाम :

पद का नाम:

पता :

ईमेल:

फोन:

(सफल कंपनी/फर्म को बिलों के साथ निम्नलिखित घोषणा(1 और 2) देनी होगी)।

### 1. घोषणा

मैं, श्री/श्रीमती ..... (फर्म/संस्थान का नाम) के स्वामी/मालिक होने के नाते, मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने संविदा श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970/मजदूरी संहिता 2019 और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 में समय-समय पर संशोधित नियमों और विनियमों का पालन किया है, जहाँ तक वे मेरी फर्म/संस्थान पर लागू होते हैं। इस संदर्भ में, मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने बैंक द्वारा मुझे सौंपे गए कार्य के संबंध में मेरे द्वारा नियोजित श्रमिकों/श्रमिकों को प्रचलित सीएलसी दरों के अनुसार मजदूरी का भुगतान किया है।

स्थान :

दिनांक:

कंपनी/फर्म की मुहर और हस्ताक्षर

नाम:

पता:

ईमेल:

फ़ोन:

मोबाइल:

### 2. जीएसटी घोषणा

मैं एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मेरी/हमारी फर्म/संस्थान का जीएसटी पंजीकरण क्रमांक ..... है।

और बिल में दावा किया गया जीएसटी बैंक से प्राप्त होने के बाद भारत सरकार को विधिवत भुगतान किया जाएगा।

मैं उचित समय पर बैंक को भारत सरकार को जीएसटी के भुगतान के बारे में सूचित कर दूंगा।

स्थान :  
दिनांक:

कंपनी/फर्म की मुहर और हस्ताक्षर  
नाम:  
पता:  
ईमेल:  
फ़ोन:  
मोबाइल:

अनुलग्नक VII – प्रदर्शन बैंक गारंटी का प्रारूप (उचित मूल्य के गैर-न्यायिक स्टांप पत्र पर)

स्थान : \_\_\_\_\_

दिनांक : \_\_\_\_\_

क्षेत्रीय निदेशक

भारतीय रिज़र्व बैंक,  
प्लॉट संख्या 16 और 17, आईटी पार्क  
सहस्रधारा रोड,  
देहरादून 248013

प्रिय महोदय,

\_\_\_\_\_ के  
रखरखाव और सेवाओं के लिए व्यापक वार्षिक रखरखाव अनुबंध (CAMC) के निष्पादन हेतु बैंक गारंटी

जबकि

भारतीय रिज़र्व बैंक, जिसका केंद्रीय कार्यालय शहीद भगत सिंह रोड, मुंबई में स्थित है, (जिसे आगे "आरबीआई" कहा गया है) ने मेसर्स \_\_\_\_\_ (सेवा प्रदाता का नाम) (जिसे आगे "उक्त सेवा प्रदाता" कहा गया है, जिसमें इसके उत्तराधिकारी और असाइनी भी शामिल होंगे) के साथ \_\_\_\_\_ के रखरखाव और सेवाओं के लिए एक द्विपक्षीय व्यापक वार्षिक रखरखाव अनुबंध (सीएएमसी) (जिसे आगे "अनुबंध" कहा गया है) किया है।

और

जबकि सेवा प्रदाता उक्त अनुबंध के तहत आरबीआई को सीएएमसी के निष्पादन हेतु कुल ₹ \_\_\_\_\_ (केवल \_\_\_\_\_ रुपये) (राशि अंकों और शब्दों में) की बैंक गारंटी प्रस्तुत करने के लिए बाध्य है, ताकि उक्त सेवा प्रदाता अनुबंध में निहित नियमों और शर्तों का विधिवत पालन कर सके।

38 | पृष्ठ

भारतीय रिज़र्व बैंक, प्लॉट संख्या 16 और 17, आईटी पार्क, देहरादून में स्थित 2 x 20 केवीए यूपीएस सिस्टम के लिए व्यापक वार्षिक रखरखाव अनुबंध।

हम, \_\_\_\_\_ (बैंक का नाम), (जिसे इसके बाद "बैंक" कहा जाएगा), सेवा प्रदाता मेसर्स \_\_\_\_\_ के अनुरोध पर, एतद्वारा आरबीआई को अनुबंध की शर्तों और नियमों के विधिवत पालन के लिए प्रदर्शन गारंटी के रूप में \_\_\_\_\_ रुपये से अधिक की राशि का भुगतान करने का वचन देते हैं।

अब यह गारंटी गवाह है

1. हम \_\_\_\_\_ (बैंक का नाम) एतद्वारा आरबीआई, उसके उत्तराधिकारियों और असाइनियों के साथ सहमत होते हैं और उन्हें वचन देते हैं कि यदि आरबीआई इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि सेवा प्रदाता ने उक्त अनुबंध की शर्तों के तहत अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया है या उसका उल्लंघन किया है, जो निष्कर्ष हम पर और उक्त सेवा प्रदाता पर बाध्यकारी होगा; तो हम आरबीआई द्वारा माँगे जाने पर, बिना किसी आपत्ति के आरबीआई को रु. \_\_\_\_\_ (केवल \_\_\_\_\_ रुपये) या आरबीआई द्वारा माँगी गई कोई भी कम राशि का भुगतान करेंगे। हमारी गारंटी उक्त अनुबंध के तहत सेवा प्रदाता के दायित्वों के उचित निर्वहन के लिए प्रदर्शन गारंटी राशि के समतुल्य मानी जाएगी, बशर्ते कि ऐसी राशि के लिए हमारी देयता रु. \_\_\_\_\_ (केवल \_\_\_\_\_ रुपये) से अधिक नहीं होगी।
2. हम यह वचन देते हैं और पुष्टि करते हैं कि उपर्युक्त राशि (केवल \_\_\_\_\_ रुपये) का भुगतान हम बिना किसी आपत्ति या विरोध के, आरबीआई द्वारा लिखित नोटिस प्राप्त होने पर, बिना किसी आपत्ति के कर देंगे। हम किसी भी प्रकार का कोई और प्रमाण या सबूत नहीं माँगे और आरबीआई का नोटिस हमारे लिए अंतिम और बाध्यकारी होगा तथा हम किसी भी प्रकार से इस पर कोई सवाल नहीं उठाएंगे। सेवा प्रदाता द्वारा किसी भी न्यायालय, न्यायाधिकरण या मध्यस्थ के समक्ष लंबित किसी भी मुकदमे या कार्यवाही में उठाए गए किसी भी विवाद के बावजूद, बैंक आरबीआई को माँगी गई राशि का भुगतान करेगा और इस गारंटी के तहत हमारी देयता पूर्ण और स्पष्ट होगी। हम उपर्युक्त नोटिस प्राप्त होने की तिथि से एक सप्ताह के भीतर आरबीआई द्वारा दावा की गई राशि का भुगतान करने का वचन देते हैं।

3. हम पुष्टि करते हैं कि इस गारंटी के तहत आरबीआई के प्रति हमारा दायित्व आरबीआई और सेवा प्रदाता के बीच हुए करार या समझौतों या अन्य समझ से स्वतंत्र होगा।
4. आरबीआई की पूर्व लिखित सहमति के बिना हम इस गारंटी को रद्द नहीं कर सकते।

हम इसके द्वारा आगे इस बात से भी सहमत हैं कि –

- a) उक्त करार की शर्तों को लागू करने में या उक्त अनुबंध और/या इसके अंतर्गत निर्धारित किसी भी नियम और शर्तों के अनुपालन में आरबीआई द्वारा किसी भी प्रकार की ढिलाई या चूक, या आरबीआई द्वारा सेवा प्रदाता को किसी भी प्रकार का समय देना या रियायत दिखाना, या इससे संबंधित कोई अन्य मामला हमें किसी भी तरह से इस गारंटी के तहत हमारे दायित्व से मुक्त नहीं करेगा। यह गारंटी केवल सेवा प्रदाता द्वारा अपने दायित्वों के पालन पर ही पूर्ण होगी, और यदि वे ऐसा करने में विफल रहते हैं, तो हमारे द्वारा अधिकतम \_\_\_\_\_ रुपये (केवल \_\_\_\_\_ रुपये) की राशि का भुगतान करने पर ही पूर्ण होगी।
- b) इन दस्तावेजों के तहत हमारी देनदारी \_\_\_\_\_ रुपये (केवल \_\_\_\_\_ रुपये) से अधिक नहीं होगी।
- c) इस करार के तहत हमारी देयता हमारे उक्त घटकों/ग्राहकों की ओर से किसी भी अशक्तता या अनियमितता या उनके दायित्वों से, या हमारे उक्त घटकों के विघटन या संरचना में परिवर्तन से प्रभावित नहीं होगी।
- d) यह गारंटी \_\_\_\_\_ (अनुबंध अवधि के बाद 60 दिन) तक लागू रहेगी, बशर्ते कि यदि आरबीआई चाहे तो इस गारंटी को उसी शर्तों और नियमों पर, जैसा कि इसमें निहित है, उनके द्वारा निर्धारित अवधि के लिए नवीनीकृत किया जा सकता है।
- e) इन शर्तों के तहत हमारी देनदारी तब तक समाप्त हो जाएगी जब तक कि उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार इन शर्तों का नवीनीकरण \_\_\_\_\_ तिथि को या उस दिन को नहीं किया जाता जब हमारे उक्त घटक अपने दायित्वों का अनुपालन करते हैं, जिसके लिए आरबीआई द्वारा जारी लिखित प्रमाण पत्र ही निर्णायक प्रमाण होगा, इनमें से जो भी तिथि बाद में हो। यदि हमारे विरुद्ध किसी भी विस्तारित अवधि

के भीतर कोई दावा, मुकदमा या कार्रवाई दायर नहीं की जाती है, तो इस गारंटी के तहत आरबीआई के हमारे प्रति सभी अधिकार समाप्त हो जाएंगे और हम इस अनुबंध के तहत अपने सभी दायित्वों और देनदारियों से मुक्त हो जाएंगे।

इसके प्रमाण स्वरूप, मैं/हम बैंक की ओर से इस गारंटी पर दिनांक ----- (माह) (वर्ष) को विधिवत अधिकृत होकर हस्ताक्षर और मुहर लगाते हैं।

\_\_\_\_\_ (बैंक का नाम) की ओर से और के लिए

अधिकृत बैंक अधिकारी के हस्ताक्षर

नाम:

पदनाम

बैंक की मुहर/सील

उपर्युक्त व्यक्ति द्वारा बैंक की ओर से हस्ताक्षरित, मुहरबंद और वितरित किया गया।

उपस्थिति:

गवाह 1

हस्ताक्षर .....

नाम .....

पता .....

(नोट: इस गारंटी पर संबंधित राज्य में लागू स्टॉप शुल्क लगेगा।)

इस पर उस अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे जिसके हस्ताक्षर और अधिकार मान्य हैं।



भारतीय रिज़र्व बैंक  
संपत्ति विभाग  
देहरादून  
मूल्य बोली

भारतीय रिज़र्व बैंक, प्लॉट संख्या 16 और 17, आईटी पार्क, देहरादून में स्थित 2 x 20 केवीए यूपीएस सिस्टम के व्यापक वार्षिक रखरखाव अनुबंध (सीएएमसी) के लिए आवेदन आमंत्रित हैं।

क्रमांक।	वस्तु का विवरण	मात्रा	इकाई	राशि रुपये में (सभी लागू करों सहित)
1.	2 x 20 केवीए यूपीएस सिस्टम के सीएएमसी के लिए व्यापक वार्षिक रखरखाव अनुबंध (निर्माता: एएएल, मॉडल: अल्फा-33) कार्यक्षेत्र में निर्दिष्ट 2 x 20 केवीए यूपीएस सिस्टम के लिए व्यापक वार्षिक रखरखाव सेवा अनुबंध की वार्षिक दर, इस दस्तावेज़ में उल्लिखित सभी नियमों और शर्तों के अनुपालन में। (सभी शुल्क शामिल हैं)	1 कार्य	प्रत्येक वर्ष	
	कुल			
रुपये (.....)				

स्थान:

हस्ताक्षर और कंपनी/फर्म की मुहर

दिनांक:

नाम:

पता:

ईमेल:

फोन:

42 | पृष्ठ

भारतीय रिज़र्व बैंक, प्लॉट संख्या 16 और 17, आईटी पार्क, देहरादून में स्थित 2 x 20 केवीए यूपीएस सिस्टम के लिए व्यापक वार्षिक रखरखाव अनुबंध।